

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप-संरक्षक
संध प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन
वन विभाग, मोटी दमण.

सं. RFO/DMN/16/2016-17/08

दिनांक :- 05/07/2016.

विषय :- वृक्ष काटने हेतु अनुमति.

वृक्ष काटने हेतु The Asstt. Engineer, Electricity Depptt., Nani Daman. निवासी के वृक्ष काटने संबन्धी आवेदनपत्र दिनांक : 17/06/2016 के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों एवं निबन्धनों के पालक करने के साथ सर्वे सं. (66KV transmission line near Vadchowki, Nani Daman) की जमीन पर निचे वर्णित विवरण के अनुसार वृक्ष कतरन की अनुमति के बारे में सूचित किया जाता है।

वृक्ष / वृक्षों का विवरण

क्रम सं	प्रकार / नाम	कुल वृक्ष सं
1	Sharu Trees	05
	Total	05 No.

वृक्ष अधिकारी एवं
वन उप - संरक्षक
दमण।

सेवा में,
The Asstt. Engineer,
Electricity Depptt.
Sub Diviaion-IV (TR & SLDC)
Nani Daman.

नियम एवं शर्तें

1. श्रेत्रीय वन अधिकारी द्वारा वृक्ष को चिह्नित करेंगे।
2. आवेदक अपनी जिम्मेदारी में एवं वन विभाग के पर्यवेक्षण में वृक्ष कतरायेंगे। संबन्धित भूमि पर अथवा व्यक्तियों के दावे संबन्धी मामले के बिना यह अनुमति दी जाती है।
3. यह आदेश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वृक्ष कतराने ने का कार्य पूरा कर लिया जायेगा।
4. कतरन गये वृक्ष से प्राप्त उपादान श्रेत्रीय वन अधिकारी से ट्राजिट पास लेकर स्थल से हटाना होगा।
5. तटीय क्षेत्र विनियम का उल्लंघन करते हुए पक्षकार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेंगे, इस शर्त पर अनुमति दी जाती है।

प्रतिलिपी :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दमण - दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें।
2. वन संरक्षक, दमण -दीव एवं दादरा नगर हवेली को सादर सूचनाथें।
3. श्रेत्रीय वन अधिकारी, दमण।
4. सबंधित बिट गाडें, फॉरेस्ट गाडें/ सिपाई।

Received
21/7/16
(Electricity Deptt.)
Start.

